

प्रेषक,

एच०पी० सिंह  
विशेष सचिव  
30प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
30प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : १३ अक्टूबर, 2016

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3490/10/छ.:/विविध/आसरा/तकनीकी दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-37 से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-सीतापुर की निकाय-खेंराबाद की 84 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 42 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1932/69-1-14-29(आसरा-37)/2013 दिनांक 21 फरवरी, 2014 द्वारा ₹0 155.325 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात ₹0 77.663 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट से परियोजना लागत का लगभग 50 प्रतिशत अर्थात निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 77.662 लाख (रूपये सतहर्तर लाख छाँठ हजार दो सौ मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद/ निकाय का नाम।	कुल आवासों की संख्या।	परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों परियोजना की कुल आवासीय लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि (सेन्टेज चार्ज एवं लेवर सेस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	सीतापुर/ खेंराबाद	84	310.65	42	155.325	77.662
योग				42	155.325	77.662

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।

प्रीति पाठी/प्रीति चाहल/प्रीति गोपा

2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय बिलयरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
6. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
8. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
10. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
  15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0य०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
  16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-00-24-वृहत निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016 दिनांक 29.08.2016 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

*hpsd*  
(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।\*

संख्या- ६६५ /2016/2403(1)/69-1-16 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नायड़ मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सीतापुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

*ss*  
(शशिकान्त कनौजिया)

अनु सचिव।